पत्रांक–4 / STA-P3-177 / 2015 परि० 3047

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

निबंधित

Mail

प्रेषक,

अशोक कुमार झा,
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार,
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार,

पटना, दिनांक– 28/6/16

विषयः विभिन्न अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालित बसों में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रथम पंक्ति के दो सीट तथा व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले परमिट की विभिन्न शर्तो में इस शर्त का भी उल्लेख रहता है कि वाहन स्वामी प्रत्येक बस के प्रथम पंक्ति के दो सीट निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखेंगे एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था करेंगे ।

परन्तु ऐसा संज्ञान में आया है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की उक्त शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है ।

अतएव अनुरोध है कि परमिट पर अंकित उक्त शर्त का पालन दृढ़ता से कराने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/- 27/6/16

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

M.K.P-290